F:\IC\Compass.Appointment\Comp. Order\Compassionate Order.doc

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः– मुख्या./कार्मिक/1सी/F–बोर्ड एजेण्डा/2020/324 दिनांकः–22/7/20

कार्यालय–आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय सं. 14/2010 पर परिवहन विभाग राजस्थान सरकार की अनुमति से आदेश सं. 590 दिनांक 25.6.2010 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाकर उक्त विनियम के बिन्दु सं. 5 में आश्रित की शैक्षणिक अहर्ताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तें पूर्ति करने पर निगम मण्डल के अभिलिखित निर्णय सं. 55/2013 दिनांक 30.07.13 की पालना में जारी आदेश क्रमांक 1367 दिनांक 06.08.2013 द्वारा वेतनमान सं. 1 से 9 तक के निम्न पदों पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान निहित किया गया था :–

1. सहायक यातायात निरीक्षक (केवल एमबीए/बीबीए/पीजीडीएम योग्यताधारी)
2. संगणक (केवल एमसीए/बीसीए योग्यताधारी)
3. उप भण्डार निरीक्षक (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोबाईल में डिप्लोमा/डिग्रीधारी)
4. चालक
5. परिचालक
6. आर्टिजन ग्रेड।।।
7. कनिष्ठ सहायक (केवल महिला आश्रित)
8. च.श्रे.कर्मचारी– केवल आश्रिता विधवा पत्नी के लिये (यदि अन्य वैध आश्रित/आश्रिता उपरोक्त पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता/रखती हों, ऐसे प्रकरणों में विधवा आश्रिता पत्नी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिये भर्ती/पदौन्नति शिड्यूल में वर्णित पात्रता कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण में शिथलन देते हुए अभिमुक्ति रखा जायेगा।)

निगम में प्रशासनिक/वाहन संचालन व्यवस्था सुचारू बनाये रखे जाने, वर्तमान में अधीनस्थ/सहायक कर्मचारियों की कमी को देखते हुऐ तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पर पुनर्विचार हेतु प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में निगम का कार्य एवं कार्य की प्रकृति Round the clock संचालन व्यवस्था से जुडी होने के फलस्वरूप उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त पुरूष आश्रितों को कनिष्ठ सहायक एंव केवल आठवीं व नवीं उत्तीर्ण पुरूष आश्रितों को च0श्रे0कर्मचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु निगम संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 19.05.2020 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं. 10/290/220/2020 से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर अभिलिखित निर्णय सं0 28/2020 अनुसार निगम के मृत कर्मचारियों के पुरूष आश्रितों को कनिष्ठ सहायक एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु लिये गये निर्णय/अनुमोदन दिये जाने के क्रम में अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 के **बिन्दु सं. 5– पदों का चयन** में निम्नानुसार जोड़ा जाता है ।

5. पदों का चयन–

कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि एंव अन्य संकाय से स्नातक/स्नाकोत्तर उत्तीर्ण पुरूष आश्रितों को उनके द्वारा अर्जित की गयी उच्च शिक्षा के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर, तथा केवल आठवीं एवं नवी कक्षा उत्तीर्ण पुरूष आश्रितों को च0श्रे0कर्मचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः– मुख्या./कार्मिक/1सी/F–बोर्ड एजेण्डा/2020/324 दिनांकः–22/7/20

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक ———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
4. समस्त उप महाप्रबन्धक ————————रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
6. समस्त जोनल मैनेजर ———————— रापनि, ————————
7. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक रापनि, ————————
8. आदेश पत्रावली।

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

D:\C\Compass Appointment\Comp. Order\Compassionate Order doc

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांकः मु./का./1–सी/बोर्ड एजेण्डा/19/803 दिनांक : 27/12/19

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय सं. 14/2010 पर परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार की अनुमति से आदेश सं. 590 दिनांक 25.06.2010 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाकर उक्त विनियम के बिन्दु सं. 10 में निगम मण्डल के निर्णय सं. 29/2013 एवं 54/13 पर परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र संख्या प. 16 (7)/परि/2008 दिनांक 11.07.2013 एवं माननीय राज्य मंत्री परिवहन के आई.डी. संख्या 215/SMT/113 दिनांक 09.07.2013 के अनुसरण में स्वीकृति प्राप्त होने पर निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 के नियम संख्या 10 में निम्न प्रकार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाकर आदेश क्रमांक 1366 दिनांक 05.08.2013 जारी किये गये थे।

निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के पाँच वर्षों से अधिक विलम्ब अवधि के प्रकरणों में परिचालक, आर्टिजन ग्रेड।।। एवं कनिष्ठ लिपिक (केवल महिला आश्रित) के 139 प्रार्थना पत्रों/आवेदन पत्रों में एकमुश्त शिथिलन अवधि की छूट दिये जाने एवं भविष्य में 5 वर्ष से अधिक विलम्ब के प्राप्त प्रकरणों में शिथिलन देने हेतु अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया था। जिसके क्रम में निगम संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 02.03.17 में अभिलिखित निर्णय सं. 06/2017 पर परिवहन विभाग से प्राप्त पत्रांक प.16(3) परि./2014 जयपुर, दिनांक 22.10.2019 में अतिरिक्त मुख्य सचिव के वर्णित निर्देशों की अनुपालना में अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 के नियम 10 में 5 वर्षों से अधिक अवधि के शिथिलन सम्बन्धी प्रावधान को विलोपित किया जाता है। निगम संचालक मण्डल में पारित निर्णय दिनांक 02.03.17 से निगम में 5 वर्षो से अधिक विलम्ब अवधि के अनुकम्पा नियुक्ति के प्राप्त प्रकरण शिथिलन योग्य नहीं माने जाकर, खारिज योग्य माने जायेगें तथा किन्ही भी परिस्थितियों में 5 वर्ष से अधिक विलम्ब अवधि का शिथिलन अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में देय नहीं होगा।

(आलोक)
प्रबन्ध निदेशक
दिनांक : 27/12/19

क्रमांकः मु./का./1–सी/बोर्ड एजेण्डा/19/803

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 निजी सचिव, अध्यक्ष, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ( ), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त महा प्रबंधक ( ), रापनि, जयपुर।
5. उप महा प्रबधक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. जोनल मैनेजर, ... जोन।
6. समस्त सहायक महा प्रबन्धक ( ), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबंधक, के0का0, रापनि..................................
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबंधक (प्रशा.), रापनि.............................
9. नोटिस बोर्ड/आदेश पत्रावली।

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांकः मुख्या. / कार्मिक / 1–सी / विविध / 18 / 585 दिनांकः– 12.12.2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिये अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 आदेश क्रमांक 590 दिनांक 25.6.2010 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू किया गया है। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण करने हेतु आदेश 925 दिनांक 27.4.2011 द्वारा आगार/केन्द्रीय कार्यशाला/यूनिट प्रभारी स्तर पर परीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। जिनके द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 एवं समय–समय पर जारी आदेश, परिपत्र के परिपेक्ष्य में प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिनमें महत्वपूर्ण आदेश/परिपत्र/दिशा–निर्देश निम्नानुसार है:–

क्र. स.	आदेश/परिपत्र क्रमांक	दिनांक	आदेशो/परिपत्रों का संक्षिप्त विवरण
1	590	25.6.2010	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रभावी अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010
2	1071	20.5.2011	विनियम 2010 के नियम 10 में 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की विलम्ब अवधि प्रतिस्थापित की गयी।
3.	925	27.4.2011	ईकाई/आगार/कार्यशाला में अनुकम्पा नियुक्ति कमेटी परीक्षण हेतु गठित
4.	3175	10.5.2012	शैक्षणिक दस्तावेजों का उत्तीर्ण बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि से सत्यापन कराना एवं पूर्व में अस्वीकृत प्रकरणों के अभ्यार्थी द्वारा 5 वर्ष की अवधि में शैक्षणिक अर्हताएं या अन्य मापदण्ड पूर्ण करने पर आवेदन पत्र का परीक्षण करना
5.	3913	11.7.2012	5 वर्ष विलम्ब अवधि के गणना का उदाहरण सहित तरीका एवं नियुक्ति दिये जाने तक आश्रित सदस्यों का सरकारी संस्थान/बोर्ड/निगम में कार्यरत नहीं होने का निर्देश,
6.	1367	6.8.2013	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये पदों का नाम, नियम एवं शर्तें
7.	2052	12.11.2013	विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान
8.	220	14.3.2016	अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश
9.	447	31.5.2016	ईकाई/आगार/कार्यशाला प्रभारियों को दिशा–निर्देश
10.	458	10.2.2017	सहायक यातायात निरीक्षक पद हेतु एमबीए/बीबीए/पीजीडीएम की योग्यता में एमटेक/बीटेक जोडे जाने के साथ सहायक यातायात निरीक्षक, संगणक, उप भण्डार निरीक्षक के पदों पर विलम्ब अवधि में कोई शिथिलन नहीं दिये जाने का प्रावधान

उक्त जारी आदेश/परिपत्रों की प्रति समस्त ईकाई/आगार/कार्यशाला/यूनिट प्रभारियों को प्रेषित किये है। किन्तु प्रायः देखा गया है कि उक्त आदेश/परिपत्र/दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है एवं अपूर्ण औपचारिकता एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जा रहे है। जो मुख्यालय से जारी आदेशों की अवहेलना है।

अतः पुनः आदेशों की प्रति संलग्न कर सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति के संबध में मृतक आश्रितों के प्राप्त प्रकरणों का ईकाई/आगार/कार्यशाला/यूनिट प्रभारी के कार्यालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा त्वरित गति से नियमानुसार परिक्षण एवं अनुशंषा कर नियुक्ति योग्य पत्रावली मुख्यालय को पूर्ण दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने के **अधिकतम एक सप्ताह में** भिजवायी जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेश/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें, अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक/मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/यूनिट प्रभारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

12.18.

(सांवर मल वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या. / कार्मिक / 1–सी / विविध / 18 / 585 दिनांकः– 12.12.2018

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ( ), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त महा प्रबंधक ( ), रापनि, जयपुर।
5. उप महा प्रबंधक (IT) रापनि, मुख्यालय, जयपुर। को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों/परिपत्रों की निगम वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. समस्त सहायक महा प्रबन्धक ( ), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबंधक, के0का0, रापनि.................................
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबंधक (प्रशा.), रापनि.........................
9. नोटिस बोर्ड/आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

D:\IC\Compass Appointment\Comp. Order\Compassionate Order.doc

12

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1सी/S-206/2017/ 458 दिनांकः– 10-02-2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु निगम संचालक मण्डल के निर्णय सं. 55/2013 दिनांक 30.07.2013 की पालना में जारी आदेश क्रमांक 1367 दिनांक 06.08.2013 में वर्णित प्रावधानों की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में प्रस्ताव सं. 13/272/2016 निगम संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचार विमर्श उपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 के बिन्दु सं. 1.5 (पदों का चयन) में निर्णय सं. 51/2016 दिनांक 05.12.2016 द्वारा निम्न निर्णय अभिलिखित किया गयाः–

"अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 के बिन्दु सं. 1.5 (पदों का चयन) में सहायक यातायात निरीक्षक के पद हेतु केवल एमबीए/बीबीए/पीजीडीएम योग्यताधारी पात्र हैं, में एमटेक एवं बीटेक जोड़े जाने का अनुमोदन किया गया। मृतक कर्मचारी का आश्रित यदि सहायक यातायात निरीक्षक, संगणक एवं उप भण्डार निरीक्षक में से किसी भी पद की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है किन्तु यदि वह उक्त तीनों पदों की निर्धारित योग्यता अर्जित करना चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में विलम्ब अवधि का कोई भी शिथिलन नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

उक्त आदेश कार्यालय आदेश क्रमांक 1367 दिनांक 06.08.2013 में तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1सी/S-206/2017/ 458 दिनांकः– 10-2-17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ------------------------------ रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक ------------------------------ रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
4. समस्त उप महाप्रबन्धक ------------------------------रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
6. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक रापनि, ------------------
7. आदेश पत्रावली।

(बी0 एल0 गोयल)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक: मुख्या./कार्मिक/1–सी/विविध/2016/457 दिनांकः– 31-5-2016

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि निगम कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार सदस्यों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपूर्ण ही मुख्यालय को अग्रेषित कर दिये जाते हैं, जिससे अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही/औपचारिकताऐं पूर्ण कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने संबंधी प्रकरणों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु आदेश क्रमांक 925 दिनांक 27.04.2011 तथा आदेशांक 220 दिनांक 14.03.2016 द्वारा आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ नियंत्रण अधिकारी स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। उक्त आदेशों में वर्णित प्रावधानानुसार प्रकरण का परीक्षण आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी स्तर पर निस्तारण नहीं किया जाता है।

अतः समस्त मुख्य प्रबन्धकों, मुख्य उत्पादन प्रबन्धकों तथा नियंत्रण अधिकारियों को पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1. आदेशांक 220 दिनांक 14.03.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों के तहत आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी के स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरान्त आश्रित के निर्धारित पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखने पर उसका आवेदन पत्र नियमानुसार खारिज करते हुये आगार स्तर पर ही अविलम्ब आश्रित को सूचित किया जावे तथा पत्र की प्रति आवश्यक रूप से मुख्यालय को भी प्रेषित की जावे।
2. आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ईकाई स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से कमेटी द्वारा परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने वाले आवेदन पत्रों में अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 तथा समय–समय पर जारी आदेशों में वर्णित प्रावधानानुसार औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ईकाई स्तर पर नियुक्त प्रबन्धक (प्रशासन) व्यक्तिशः मृतक कर्मचारी के निवास स्थान पर जाकर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की औपचारिकताओं की पूर्ति अविलम्ब कराते हुए आगारीय कमेटी की चैकलिस्ट/अनुशंसा आदि सहित पूर्ण पत्रावली मुख्यालय को प्रेषित करावेंगे।

सभी मुख्य प्रबन्धक/मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/नियंत्रण अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक: मुख्या./कार्मिक/1–सी/विविध/2016/457 दिनांकः– 31-5-2016

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबन्धक———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), रापनि, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति निगम वेबसाईट पर अपलोड करावे।
7. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला———————— आगार।
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (प्रशासन), रापनि————————
10. आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रतिमा सिं[illegible])
कार्यकारी निदेशक (प्र[illegible])

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1–सी/विविध/2016/220 दिनांकः– 14-03-2016

कार्यालय आदेश

प्रायः देखने में आया है कि निगम कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार सदस्यों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपूर्ण ही मुख्यालय को अग्रेषित कर दिये जाते हैं, जिससे अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही/औपचारिकताऐं पूर्ण कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने संबंधी प्रकरणों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ नियंत्रण अधिकारी स्तर पर कमेटी का गठन करने हेतु आदेश क्रमांक 925 दिनांक 27.04.2011 जारी किया गया है। तत्पश्चात समय–समय पर जारी आदेशों में वर्णित प्रावधानानुसार प्रकरण का परीक्षण आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी स्तर पर करते हुए निस्तारण करने हेतु पूर्व में समय–समय पर निर्देशित किया जा चुका है। किन्तु उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।

अतः अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अनुकम्पा नियुक्ति–2010 एवं समय–समय पर जारी आदेशों के क्रम में पुनः निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. कर्मचारी के निगम सेवा मे रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित/ आश्रिता को अनुकम्पात्मक नियोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र आश्रित के निवास स्थान के पते पर तुरन्त भिजवाकर 45 दिवस में आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही करें तथा कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की निर्धारित अवधि मे आवेदन पत्र मुख्यालय को प्रेषित करें। उक्त 90 दिवस की अवधि में आवेदन पत्र मुख्यालय प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (प्रशासन) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
2. कर्मचारी की निगम वाहन से दुर्घटना मे मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के सभी वारिसान द्वारा निगम के विरूद्ध MACT क्लेम दायर नहीं करने का पृथक–पृथक मूल शपथ पत्र ₹10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित किये हुये संलग्न होने आवश्यक है।
3. मृतक कर्मचारी के परिवार सदस्यों की पुष्टि हेतु परिवार राशन कार्ड की मुख्य प्रबंधक/मुख्य उत्पादन प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4. आश्रित आवेदक के विवाहित होने के स्थिति में दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात जन्मे बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न होना चाहिये।
5. आवेदक के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजो की जाँच/नियुक्ति हेतु मान्य है या नहीं ? संबंधित बोर्ड/शिक्षण संस्थान से दस्तावेजों का सत्यापन कराकर मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करते हुये मुख्य प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित छाया प्रति प्रेषित करें।
6. मृतक कर्मचारी के विरूद्ध कोर्ट केस विचाराधीन है या नहीं के संबंध में वस्तुस्थिति प्रेषित करें।
7. पार्ट–5 में मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति की जाँच कर आर्थिक स्थिति दयनीय होने के संबंध में आवेदक को संबंधित ईकाई प्रभारी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति देने की अनुशंषा प्रेषित करें।
8. मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार सदस्यों में से कोई सदस्य पहले से ही केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन आश्रित आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के समय नियमिंत आधार पर पहले से ही नियोजित नही होने की जाँच करते हुये रिपोर्ट प्रेषित करें।
9. मृतक कर्मचारी के नाबालिग आश्रितों द्वारा भविष्य में अनुकम्पा नियुक्ति का दावा नहीं करने सम्बन्धी आश्रिता पत्नी/संरक्षक की ओर से शपथ पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।
10. अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन पत्र निर्धारित अवधि से विलम्ब अवधि में प्रस्तुत करने पर विलम्ब अवधि में शिथलन देने के लिए कारण सहित टिप्पणी/अभिशंषा संलग्न प्रेषित करें। वर्तमान में निगम मण्डल के निर्णय संख्या 26/2011 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा विलम्ब अवधि में 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष तक शिथलन आदेशांक 1071 दिनांक 20.05.2011 के द्वारा देने का प्रावधान किया गया है।
11. कर्मचारी का सक्षम स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।

कृ. प. उ.

12. अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 एवं उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों के तहत आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी के स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरान्त आश्रित के निर्धारित पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखने पर उसका आवेदन पत्र खारिज करते हुये आगार स्तर पर ही आश्रित को सूचित किया जावेगा तथा पत्र की प्रति सूचनार्थ मुख्यालय प्रेषित की जावेगी।

आदेश क्रमांक 925 दिनांक 27.04.2011 के द्वारा आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी स्तर पर गठित कमेटी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी आदेशों के परिपेक्ष्य में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर अवलोकन/परीक्षण करते हुये आश्रित आवेदक के सम्बन्ध में अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंषा करते हुये टिप्पणी प्रस्तुत करेगी कि आवेदक अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 एवं वर्तमान में प्रभावी आदेशांक 1366 दिनांक 05.08.2013 तथा 1367 दिनांक 06.08.2013 के तहत निर्धारित पदों में से किस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र है। उक्त कमेटी की अनुशंषा अनुसार आश्रित आवेदक का आवेदन पत्र अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य पाये जाने पर कमेटी के सभी सदस्य हस्ताक्षर करते हुए हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम एवं पद स्पष्ट अंकित करते हुए प्रकरण मुख्यालय को भिजवाया जावेगा। आदेशांक 368 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार जिन ईकाईयों में विधि सहायक कार्यरत नहीं है, वहां अन्य किसी प्रबन्धक स्तर के अधिकारी को विधि सहायक के स्थान पर मनोनीत करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण का निस्तारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कार्यवाही पश्चात मुख्यालय में गठित कमेटी द्वारा भी उक्त प्रकरणो को निगम में अनुकम्पा नियुक्ति के विद्यमान नियमों/विनियमों के अन्तर्गत गहनता से अवलोकन/विश्लेषण/परीक्षण कर आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंषा की जावेगी। उसके पश्चात अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु पात्र पाये जाने पर प्रकरण नियुक्ति हेतु सक्षम स्तर पर स्वीकृति/विलम्ब अवधि में शिथलन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1–सी/विविध/2016/220 दिनांकः– 14-03-2016

1. निजी सचिव,अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष———————रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबन्धक——————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक—————रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), रापनि, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति निगम वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला———————
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक, रापनि————————————————आगार।
10. आदेश पत्रावली।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या. / कार्मिक / 1सी / F(B-122) / 13 / 2052 दिनांकः- 12/11/13

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय सं. 14/2010 पर परिवहन विभाग राजस्थान सरकार की अनुमति से आदेश सं. 590 दिनांक 25.6.2010 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम-2010 तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाकर उक्त विनियम के बिन्दु सं. 5 में आश्रित की शैक्षणिक अहर्ताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्ते पूर्ति करने पर निगम मण्डल के निर्णय सं. 55/2013 दिनांक 30.07.13 अभिलिखित निर्णयानुसार निम्न पदों पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया था:-

1. सहायक यातायात निरीक्षक (केवल एमबीए/बीबीए/पीजीडीएम योग्यताधारी)
2. संगणक (केवल एमसीए/बीसीए योग्यताधारी)
3. उप भण्डार निरीक्षक (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोबाईल में डिप्लोमा/डिग्रीधारी)
4. चालक
5. परिचालक
6. आर्टिजन ग्रेड।।।
7. कनिष्ठ लिपिक (केवल महिला आश्रित)
8. च.श्रे.कर्मचारी- केवल आश्रिता विधवा पत्नी के लिये (यदि अन्य वैध आश्रित/आश्रिता उपरोक्त पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता/रखती हों, ऐसे प्रकरणों में विधवा आश्रिता पत्नी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिये भर्ती/पदोन्नति शिड्यूल में वर्णित पात्रता कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण में शिथलन देते हुए अभिमुक्ति रखा जायेगा।)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित पदों के अतिरिक्त विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आश्रितों के प्रकरणों मे जो आश्रित चालक/परिचालक पद का लाईसेन्स विधिक प्रक्रिया के तहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तथा परिवार का कोई अन्य आश्रित सदस्य उपरोक्त वर्णित पदों में से किसी भी पद की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने की स्थिति में ऐसे विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आश्रित आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लिपिक ग्रेड-।। /चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के प्रावधान हेतु प्रस्ताव सं. 10/259/2013 निगम संचालन मण्डल की मीटिंग दिनांक 30.10.13 में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव का निगम मण्डल के निर्णय सं. 73/2013 दिनांक 30.10.13 द्वारा अनुमोदन किये जाने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम-2010 के **बिन्दु सं. 5- पदों का चयन** में बिन्दु सं0 9 निम्न प्रकार जोड़ा जाता है:-

<u>5. पदों का चयन</u>-

9. **विशेष योग्यजन (निःशक्तजन)** आश्रितों के प्रकरणों में जो आश्रित चालक/परिचालक पद का लाईसेन्स विधिक प्रक्रिया के तहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तथा परिवार का कोई अन्य आश्रित सदस्य उपरोक्त वर्णित पदों में से किसी भी पद की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने की स्थिति में, ऐसे विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आश्रित आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लिपिक ग्रेड-।। /चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(नरेश पाल गंगवार)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
दिनांकः- 12-11-13

क्रमांकः मुख्या. / कार्मिक / 1सी / F(B-122) / 13 / 2052

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ------------------------------ रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक ------------------------------ रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
4. समस्त उप महाप्रबन्धक ------------------------------ रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
6. समस्त जोनल मैनेजर ------------------ रापनि, ------------------
7. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक रापनि, ------------------
8. आदेश पत्रावली।

(विमल कुमार जैन)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

D:\C\Compass Appus... \Comp Order\Compassionate Order doc

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1सी/F–एजेण्डा/13/1367

दिनांकः– 6-8-2013

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय सं. 14/2010 पर परिवहन विभाग राजस्थान सरकार की अनुमति से आदेश सं. 590 दिनांक 25.6.2010 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाकर उक्त विनियम के बिन्दु सं. 5 में आश्रित की शैक्षणिक अहर्ताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तें पूर्ति करने पर निगम मण्डल के निर्णय सं. 13/2012 दिनांक 18.1.2012 अभिलिखित निर्णयानुसार निम्न पदों पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया था:–

1. चालक
2. परिचालक
3. आर्टिजन ग्रेड III
4. कनिष्ठ लिपिक (केवल महिला आश्रितों को)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित पदों के अतिरिक्त अन्य पद खोले जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव सं. 14/258/2013 निगम संचालन मण्डल की मीटिंग दिनांक 30.07.13 में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर निगम मण्डल के निर्णय सं. 55/2013 दिनांक 30.07.13 में अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 के बिन्दु सं. 5– पदों का चयन में वर्णित पदों (प्रस्ताव में वर्णित पद–सहायक यातायात निरीक्षक व संगणक) की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन का अनुमोदन करते हुऐ अभिलिखित निर्णय अनुसार आश्रित को उसकी शैक्षणिक अहर्ताओं के अनुसार तथा सेवा की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर निगम में पूर्व वेतनमान सं. 1 से 9 तक के निम्न पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. 5. पदों का चयन–
   1. सहायक यातायात निरीक्षक (केवल एमबीए/बीबीए/पीजीडीएम योग्यताधारी)
   2. संगणक (केवल एमसीए/बीसीए योग्यताधारी)
   3. उप भण्डार निरीक्षक (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोबाईल में डिप्लोमा/डिग्रीधारी)
   4. चालक
   5. परिचालक
   6. आर्टिजन ग्रेड III
   7. कनिष्ठ लिपिक (केवल महिला आश्रित)
   8. च.श्रे.कर्मचारी– केवल आश्रिता विधवा पत्नी के लिये (यदि अन्य वैध आश्रित/आश्रिता उपरोक्त पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता/रखती हो, ऐसे प्रकरणों में विधवा आश्रिता पत्नी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिये भर्ती/पदोन्नति शिड्यूल में वर्णित पात्रता कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण में शिथलन देते हुए अभियुक्ति रखा जायेगा।)

2. उपरोक्तानुसार सहायक यातायात निरीक्षक, संगणक, उप भण्डार निरीक्षक एवं च.श्रे.कर्मचारी के पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति के मामलों में 5 वर्ष से अधिक अवधि का शिथलन प्रदान नहीं किया जायेगा।

3. उक्त विनियम के अन्तर्गत यदि किसी मृतक कर्मचारी के आश्रित वर्तमान में खोले गये पदों के अन्तर्गत निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यता नही रखता है तो ऐसी स्थिति में मृतक के आश्रित द्वारा निर्धारित समयावधि (90 दिवस) में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु खोले गये पदों के अन्तर्गत निर्धारित आयु एवं पद की निर्धारित योग्यता अर्जित करने तक लम्बित रखा जायेगा।

(नरेश पाल गंगवार)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
दिनांकः– 6-8-2013

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1सी/F–एजेण्डा/13/1367

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ---------------------------------- रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबन्धक ---------------------------------- रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त उप महाप्रबन्धक ---------------------------------- रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त जोनल मैनेजर ---------------- रापनि, ----------------
7. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक रापनि, ----------------
8. आदेश पत्रावली।

(विमल कुमार जैन)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

D:\C\Compass Appointment\Comp. Order\Compassionate Order doc

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1-सी/F-विविध/12/ 3313 दिनांकः- 11/7/12

परिपत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिये अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 आदेश क्रमांक 590 दिनांक 25.6.2010 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू किये गये हैं। जिसके विनियम संख्या 10 में विलम्ब से आवेदन के लिये अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक विशेष कारणों से 3 वर्ष तक विलम्ब अवधि में शिथलन देने के लिये सक्षम हैं। आदेश क्रमांक 1071 दिनांक 20.5.2011 के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 के विनियम संख्या 10 में 3 वर्ष तक विलम्ब अवधि में शिथिलन के स्थान पर "राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निगम में भी 5 वर्ष तक विलम्ब अवधि में प्राप्त प्रकरणों पर शिथिलन देय होगा" प्रतिस्थापित किया गया है। आवेदित आश्रितों को उक्त विनियम के तहत वर्तमान में आदेश संख्या 401 दिनांक 30.1.2012 के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता अनुसार केवल चालक, परिचालक, आर्टिजन ग्रेड।।। एवं कनिष्ठ लिपिक (केवल महिला आश्रितों को) के पदों पर ही नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण करने हेतु आदेश 925 दिनांक 27.4.2011 द्वारा आगार/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी स्तर पर कमेटी का गठन कर अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 के नियमानुसार परीक्षण कर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्पश्चात आदेश संख्या 3175 दिनांक 10.5.2012 के द्वारा पूर्व में अस्वीकृत/खारिज किये गये प्रकरणों के अभ्यार्थियों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या अन्य मापदण्ड पूर्ण करने पर उनके द्वारा पुनः आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं और वे निर्धारित विलम्ब में शिथलन अवधि 5 वर्ष में आने पर पुनः आगारीय कमेटी में प्रस्तुत कर निर्धारित मापदण्डानुसार शिथिलन अवधि में छूट की अनुशंषा सहित प्रकरण मुख्यालय में प्रेषित करने के आदेश जारी किये गये हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि आगार/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 एवं तत्पश्चात जारी आदेश संख्या 1071 दिनांक 20.5.2011, 401 दिनांक 30.1.2012 एवं 3175 दिनांक 10.5.2012 के निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।

अतः समस्त जोनल मैनेजरों/मुख्य प्रबन्धकों/नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निगम के अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 एवं तत्पश्चात जारी उपरोक्त आदेशों के अनुसार पूर्व में अस्वीकृत/खारिज किये गये प्रकरणों के अभ्यार्थियों के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अन्य मापदण्ड (अवयस्क से वयस्क होने पर) पूर्ण करने पर पुनः अनुकम्पा नियुक्ति हेतु यदि आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है और कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से अब आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की विलम्ब अवधि यदि 5 वर्ष तक है (उदाहरणार्थ यदि आवेदक ने अब दिनांक 10.7.2012 को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया है और कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 10.7.2007 को हुई है तो ऐसे प्रकरण 5 वर्ष की विलम्ब अवधि में माने जायेंगे) तो ऐसे 5 वर्ष तक विलम्ब अवधि के प्रकरणों में शिथिलन अवधि में छूट की अनुशंषा सहित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करावें।

अनुकम्पा नियुक्ति विनियम-2010 के नियम संख्या 4 के अनुसार मृतक के परिवार का कोई भी आश्रित केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन आश्रित को नियुक्ति दिये जाने के समय तक नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे। इसके लिये आश्रित से आवश्यक शपथ पत्र प्राप्त किया जावे। तथा परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने पर ही अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंषा की जावे।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1-सी/F-विविध/12/ 3313 दिनांकः- 11-7-12 11/7/12

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रापनि, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबंधक ( ), उप महा प्रबंधक ( ) रापनि, जयपुर।
4. जोनल मैनजर, रापनि, ...
5. मुख्य उत्पादन प्रबंधक, के0का0, रापनि..............................
6. मुख्य प्रबन्धक/प्रबंधक (प्रशा.), रापनि..............................
7. नोटिस बोर्ड/ आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1–सी/F- /12/3175 दिनांकः- 10-5-2012

परिपत्र

निगम में आदेश संख्या मुख्या/कार्मिक/1–सी/F-615/10/590 दिनांक 25.06.2010 द्वारा **अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010** लागू किया जा चुका है। तथा आदेश के साथ अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप भी संलग्न कर प्रेषित किया जा चुका है।

किन्तु यह देखा गया है कि निगम कर्मचारियों की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार सदस्यों द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्रेषित आवेदन पत्र को आगार कार्यालय/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपूर्ण ही मुख्यालय को अग्रेषित कर दिये जाते है। जिससे अनुकम्पा नियोजन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणो के त्वरित निष्पादन हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. आज कल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियोजन के परियोजनार्थ अभ्यार्थियों के द्वारा फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की शिकायते प्राप्त हो रही है, साथ ही कुछ अभ्यार्थियों द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर की शैक्षणिक संस्थाओ के दस्तावेज भी पेश किये जा रहे है। जिनके फर्जी होने की सम्भावनाओ से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः इस समस्या के समाधान के लिये सभी मुख्य प्रबन्धको/जोनल मैनेजरो एवं विभागाध्यक्षो को निर्देश जारी किये जाते है कि जब भी कोई अभ्यार्थी नियंत्रण अधिकारी के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसके साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षणिक दस्तावेजो का सम्बन्धित बोर्ड/संस्थाओ से सत्यापन कराकर ही प्रकरण आगार कमेटी में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जावे तथा राजस्थान के बाहर के शैक्षणिक दस्तावेजो की मान्यता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की अनुदेशिका में अंकित समकक्ष संस्थाओ के दस्तावेजो को ही मान्य किया जावे तथा इनका भी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओ से सत्यापन कराकर ही परीक्षण हेतु आगार कमेटी में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।
2. सामान्यतः पूर्व में अस्वीकृत प्रकरणो के अभ्यार्थियों द्वारा अस्वीकृत करने की दिनांक के बाद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर या अन्य मापदण्ड (अव्यस्क से व्यस्क होने) पूर्ण करने पर पुनः अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं। उनके प्रकरण निर्धारित विलम्ब शिथलन अवधि (5 वर्ष) में आने पर पुनः आगारीय कमेटी में प्रस्तुत कर निर्धारित मापदण्ड अनुसार शिथिलन अवधि में छूट की अनुशंषा सहित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करावें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1–सी/F- /12/3175 दिनांक - 10/5/12 10-5-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रापनि, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबंधक ( ), उप महा प्रबंधक ( ) रापनि, जयपुर।
4. जोनल मैनजर, रापनि, ...
5. मुख्य उत्पादन प्रबंधक, के0का0, रापनि..................................
6. मुख्य प्रबन्धक/प्रबंधक (प्रशा.), रापनि...........................
7. नोटिस बोर्ड/ आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1-सी/F-615/11/1071 दिनांक:- 20-5-2011
P.I.-II

कार्यालय आदेश

निगम मण्डल की बैठक दिनांक 08.04.2011 में मृतक कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति विनियम-2010 के विनियम संख्या 10 में वर्णित प्रावधान अनुसार 3 वर्ष तक विलम्ब अवधि में शिथलन के स्थान पर 5 वर्ष तक शिथलन देने का प्रावधान करने बावत प्रस्ताव संख्या 16/247/2011 प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव को निगम मण्डल के निर्णय संख्या 26/23011 के द्वारा अनुमोदन किया गया तथा निगम मण्डल का निर्णय आवश्यक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। निगम मण्डल के निर्णय पर राज्य सरकार की अनुमति की प्रत्याशा में आदेश संख्या मुख्या./कार्मिक/1-सी/F-615 II/11/955 दिनांक 03.05.2011 के द्वारा निगम मण्डल का निर्णय लागू किया गया है।

निगम मण्डल के निर्णय संख्या 26/2011 दिनांक 08.04.2011 का परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र संख्या प 16 (7) परि/2008 जयपुर दिनांक 03.05.2011 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितो के अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम-2010 के विनियम संख्या 10 में 3 वर्ष तक विलम्ब अवधि में शिथलन के स्थान पर "राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशो के अनुरूप निगम में भी 5 वर्ष तक विलम्ब अवधि के प्राप्त प्रकरणो में शिथलन देय होगा" प्रतिस्थापित किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1-सी/F-615/11/1071 दिनांक:- 20-5-2011
P.I.-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ------------- रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक ------------- रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक ----------रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त जोनल मैनेजर -------------रापनि.-----------
7. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
8. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला -----------
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक,रापनि --------------------आगार ।
10. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1-सी/विविध/11/925 दिनांकः- 27-6-2011

कार्यालय आदेश

राजस्थान परिवहन निगम में अत्यधिक संख्या में मृतक कर्मचारियों के आश्रितो के अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्रकरण लम्बित है। मृतक कर्मचारियों के आश्रितो द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ईकाई स्तर से मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है, उनमें आश्रित के निगम द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित पदों पर नियुक्ति की पात्रता पूर्ण करने अथवा नहीं करने, आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा में प्राप्त होने या नहीं होने, आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक को आश्रित के बालिग/नाबालिग होने के सम्बन्ध में अपूर्ण आवेदन की औपचारिकताऐं पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण आश्रित को यथा समय अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने में विलम्ब होता है।

निगम के अनुकम्पा नियुक्ति विनियम-2010 के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितो को निगम में अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में आदेश संख्या 590 दिनांक 25.06.2010 जारी कर पूर्व में ही समस्त ईकाईयों को प्रेषित किये जा चुके है।

आगार स्तर/केन्द्रीय कार्यशाला में मृतक कर्मचारियों के आश्रितो के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण करने हेतु निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया जाता हैः-

आगार कार्यालय

1. मुख्य प्रबन्धक	संयोजक
2. प्रबन्धक (लेखा)	सदस्य
3. विधि सहायक	सदस्य
4. प्रबन्धक (प्रशासन)	सदस्य सचिव

केन्द्रीय कार्यशाला

1. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	संयोजक
2. लेखाधिकारी	सदस्य
3. प्रबन्धक (प्रशा)	सदस्य सचिव

आश्रित आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता अनुकम्पा नियुक्ति विनियम-2010 तथा संलग्न चैक लिस्ट के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान दिया जावेः-

1. किसी कर्मचारी के निगम सेवा मे रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित/ आश्रिता को अनुकम्पात्मक नियोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र आश्रित के निवास स्थान के पते पर तुरन्त भिजवाकर 45 दिवस में आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही करावें। तथा कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की निर्धारित अवधि मे आवेदन पत्र मुख्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है।
2. कर्मचारी की निगम वाहन से दुर्घटना मे मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के सभी वारिसान द्वारा निगम के विरूद्व MACT क्लेम दायर नहीं करने का पृथक-पृथक मूल शपथ पत्र 10/-रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किये हुये संलग्न होने आवश्यक है।
3. मृतक कर्मचारी के परिवार सदस्यों की पुष्टि हेतु परिवार राशन कार्ड की मुख्य प्रबंधक/ नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4. आश्रित आवेदक के विवाहित होने के स्थिति में दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात जन्म हुये बच्चो का शपथ पत्र।
5. आवेदक के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजो को जॉच/नियुक्ति हेतु मान्य है या नहीं ? मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करते हुये मुख्य प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित छाया प्रति प्रेषित करें।
6. मृतक कर्मचारी के विरूद्ध कोर्ट केस विचाराधीन है या नहीं ?
7. पार्ट-5 में मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति की जॉच कर आर्थिक स्थिति दयनीय होने के सम्बन्ध में आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति देने की अनुशंषा

27/6/11

कृ0पृ0उ0

8. मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार सदस्यों में से कोई सदस्य पहले से ही **केन्द्र या राज्य सरकार** अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो **पूर्णतः या भागतः** केन्द्र/राज्य सरकार, के स्वामित्व या नियंत्रण मे हो के अधीन निगम **कर्मचारी की मृत्यु के** समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नही होने की जाँच करते **हुये रिपोर्ट प्रेषित करें।**
9. **मृतक कर्मचारी** के नाबालिग सदस्यों द्वारा भविष्य में अनुकम्पा नियुक्ति का **दावा नहीं करने सम्बन्धी आश्रिता पत्नी/संरक्षक की ओर से** शपथ पत्र।
10. **अनुकम्पा नियुक्ति** का आवेदन पत्र निर्धारित अवधि से विलम्ब अवधि में **प्रस्तुत करने पर विलम्ब अवधि में शिथलन देने के लिए कारण सहित टिप्पणी/अभिशंषा। वर्तमान में निगम** मण्डल के निर्णय संख्या 26/2011 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा विलम्ब अवधि में **3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष तक** शिथलन देने का निर्णय लिया गया है।
11. **कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण** पत्र।
12. **अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010** एवं उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों **के तहत आगार/केन्द्रीय कार्यशाला के स्तर** पर गठित कमेटी **के द्वारा** आवेदन पत्र के परीक्षण **के उपरान्त आश्रित के** निर्धारित पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखने पर उसका आवेदन पत्र **खारिज करते हुये** आगार स्तर पर ही आश्रित को सूचित किया जावेगा तथा पत्र की प्रति **सूचनार्थ मुख्यालय** प्रेषित की जावेगी।

उक्त कमेटी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रसारित आदेशो के परिपेक्ष्य में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की समस्त पूर्तियों को सुनिश्चित कर अवलोकन/परीक्षण करते **हुये आश्रित आवेदक** के सम्बन्ध में अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंषा करते हुये टिप्पणी प्रस्तुत करेगी **कि आवेदक अनुकम्पा नियुक्ति** विनियम–2010 के तहत निर्धारित पदों में से किस पद पर **अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र है। उक्त समिति** की अनुशंषा पर आश्रित आवेदक का **प्रार्थना पत्र अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य पाये जाने पर जोनल मैनेजर** के माध्यम से मुख्यालय को भिजवाया जायेगा।

उक्त कार्यवाही पश्चात मुख्यालय में गठित कमेटी द्वारा भी उक्त प्रकरणो को निगम में अनुकम्पा नियुक्ति के विद्यमान नियमों/विनियमों के अन्तर्गत गहनता से **अवलोकन/विश्लेषण/परीक्षण** कर आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंषा की जावेगी। **उसके पश्चात अनुकम्पात्मक** नियुक्ति हेतु पात्र पाये जाने पर प्रकरण नियुक्ति हेतु सक्षम स्तर पर **स्वीकृति हेतु** प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही भर्ती की पात्रता, चैक लिस्ट, अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम की छांया प्रति संलग्न है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

संलग्नः– 1. अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 की छाया प्रति।
2. भर्ती की पात्रता की छाया प्रति।
3. चैक लिस्ट की छांया प्रति।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1–सी/विविध/11/925 दिनांकः– 27/4/11 27-4-2011

1. निजी सचिव,अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष————————रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबन्धक———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक————————रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव निगम,राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
6. समस्त जोनल मैनेजर————————रापनि,————————
7. कार्यकारी प्रबन्धक (   ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला————————
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक,रापनि————————आगार।
10. आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांकः मुख्या. / कार्मिक / 1सी / एफ–615(II) / 10 / 590 दिनांकः-25-6-2010

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 18.02.2010 में प्रस्ताव संख्या 13 / 242 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर निगम मण्डल द्वारा निर्णय संख्या 14 / 2010 के द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था।

उक्त क्रम में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सडक परिवहन निगम अधिनियम–1950 की धारा 45(2)(सी) के तहत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक परि / 16(7)परि / 08 जयपुर दिनांक 17.06.2010 द्वारा निगम मण्डल के उक्त निर्णय पर अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप **राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010** निगम मे तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है।

संलग्न :– विनियम–2010

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या. / कार्मिक / 1सी / एफ–615(II) / 10 / 590 दिनांकः-25-06-2010

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव,अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष—————————रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक——————रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
5. सचिव निगम,राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त जोनल मैनेजर———————रापनि,———————
7. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
8. लेखाधिकारी (बजट) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
9. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
10. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला———————
11. समस्त मुख्य प्रबन्धक,रापनि——————————आगार ।
12. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

सड़क परिवहन निगम एक्ट की धारा 45 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रा.रा.प.प. निगम मृत निगम कर्मचारियों के आश्रितो की अनुकम्पात्मक आधारो पर भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्न लिखित विनियम बनाते है अर्थात

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम, 2010

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –
   1. यह विनियम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 कहलायेगा।
   2. ये विनियम प्रशासनिक आदेश जारी करने की तारीख से प्रभावी होगें।

2. परिभाषाएं :– जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमो में :–

   a. "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, निगम द्वारा सुसंगत सेवा नियमो,यदि कोई हो, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियो का प्रयोग एवं कृत्यो का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों।

   b. "मृत निगम कर्मचारी" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगम का कर्मचारी के रूप में नियोजित रहा था जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो –

   (I) स्थायी था, या
   (II) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था,या
   (III) अर्जेण्ट/अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्त पद के प्रति नियुक्त किया गया था और जिसने इस रूप में एक वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली थी।

   परन्तु ठेकेदार/ऐजेन्सी के मार्फत लगे व्यक्ति "मृत निगम कर्मचारी" के अभिप्रेत नही रहेगें।

   c. "आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री मृत निगम कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेत हैं जो मृत निगम कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतया आश्रित थे।
   d. "निगम" से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अभिप्रेत है।
   e. "विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसे विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है जिसमें मृत निगम कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा कर रहा था/रही थी।
   f. "राज्य" राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

3. विस्तार :– ये विनियम अनुकम्पात्मक आधार पर, मृत निगम कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद विशेष के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नही करेंगे।

4. कतिपय शर्तो के अध्ययीन नियुक्ति :–

1. जब किसी निगम कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्ययीन निगम सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। इन विनियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नही होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री,दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन निगम कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो।

   परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वंय के लिए नियोजन प्राप्त करती है।

2. इन विनियमों के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर कि अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के उन अन्य सदस्यों का, जो मृत निगम कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरणपोषण करेगा तथा लिखित वचनबंध देने पर दी जायेगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का, जो मृत निगम कर्मचारी पर आश्रित थे उचित तौर पर भरण पोषण करेगा/करेगी। यदि तत्पश्चात, किसी भी समय यह सावित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी, क्यो न उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये का स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान करने के पश्चात नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

3. निगम कर्मी की निगम वाहन/डयूटी पर रहते हुये दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के वारिसान द्वारा मृतक कर्मचारी की मृत्यु के कारण आय की क्षतिपूर्ति हेतु निगम के विरूद्ध मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में क्लेम के लिये वाद दायर किये जाने की स्थिति में यदि निगम से क्लेम प्राप्त कर लिया जाता है या क्लेम केस न्यायालय में लम्बित रहता है तो ऐसी स्थिति मे मृतक कर्मचारी के आश्रित दुर्घटना क्लेम प्राप्त करने के साथ साथ निगम में अनुकम्पात्मक नियुक्ति के पात्र नही होगें, निगम कर्मी के दुर्घटना में मृत्यु होने पर यदि उसका आश्रित निगम में अनुकम्पात्मक नियुक्ति के समय निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करता है तो आश्रित सदस्यों की ओर से आवेदन पत्र के साथ 10/-रू0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगें कि मृतक कर्मचारी के वारिसान द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में दुर्घटना क्लेम-वाद दायर नही किया गया है तथा भविष्य में भी कोई दुर्घटना क्लेम वाद दायर नही किया जायेगा एवं भविष्य में मृतक के किसी भी आश्रित द्वारा निगम के विरूद्ध एम.ए.सी.टी. क्लेम दायर करने पर मैं नियोजक को मेरी सेवा बिना नोटिस दिये समाप्त करने के लिये अपनी सहमति देता/देती हूँ। सेवा समाप्त के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में केस दायर नही करूँगा/करूँगी।

5. पदों का चयन :-

आश्रित की, उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तो की पूर्ति करने पर निगम में पूर्व वेतनमान संख्या 1 से 9 तक के निम्न पदों पर ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

1. सहायक यातायात निरीक्षक
2. संगणक
3. उप भंडार निरीक्षक
4. चालक
5. परिचालक
6. आर्टिजन ग्रेड तृतीय

तथा केवल महिला आश्रित को पात्रता रखने पर परिचालक के समकक्ष कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है ।

1. पद रिक्त होने पर मृत कर्मचारी की रेंक और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

2. इन विनियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्ति कर दिये जाने पर, इन विनियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग की गयी मान ली जायेगी और मामले पर किन्ही भी परिरिथिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

6. अर्हताए :-

1. आश्रित के पास आवेदन दिनांक को संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित अर्हताए होनी चाहिए।
2. किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी स्वंय का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तो को देखते हुए, वह निगम सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

7. आयु :– आश्रित को नियुक्ति के समय संबंधित सेवानियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए।

   1. किसी विधवा के लिए कोई ऊपरी(अधिकतम) आयु सीमा नहीं होगी। परन्तु निर्धारित सेवानिवृति से कम हो ।
   2. अन्य के लिए ऊपरी(अधिकतम) आयु सीमा उस कालावधि में पांच वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी।
   3. आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख होगी। एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है।

8. प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि :– प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्क अपेक्षाओं, जैसे,प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नही दिया जायेगा। तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नही कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नही की जायेगी।

   परन्तु इन विनियमों के उपबन्धो के अधीन नियुक्त किसी विधवा को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट दी जायेगी।

   टिप्पणी:– इस विनियम के प्रयोजनार्थ निगम का कार्मिक विभाग अभ्यर्थियो की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा (टेस्ट) आयोजित करेगा।

9. प्रक्रिया :–

   1. किसी निगम कर्मचारी की मृत्यु होने पर उत्तर जीवी पति या पत्नी स्वंय को या किसी अन्य आश्रित को नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे।

   2. जहां मृत निगम कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, वहां मृत निगम कर्मचारी के किसी भी आश्रित द्वारा आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी। परन्तु यह कि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो निगम का कार्मिक विभाग संपूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा।

   3. आश्रित के रूप में आवेदन उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्रारूप में मृत निगम कर्मचारी की मृत्यु की तारींख से 90 दिन की कालावधि के भीतर–भीतर कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन के स्तंभ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय (सभी स्त्रोतों से) के समर्थन में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन के समय उक्त मृत कर्मचारी के पति–पत्नी, पुत्र व अविवाहित पुत्री के सभी उक्त सदस्यो का विवरण, शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

   4. सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष जहां मृतक कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय कार्यरत था का यह दायित्व होगा कि वह आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये आवेदन पत्र मय दस्तावेज कार्मिक विभाग, मुख्यालय को प्रेषित करेगें। परन्तु निगम की कर्मचारियों की सेवाभिलेख मुख्यालय में संधारित होने के कारण ऐसा कर्मचारी की मृत्यु की दशा में आवेदन कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

   5. उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेगें, यदि निम्नतर वेतनमान में कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो उक्त निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जा सकता है और आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करें। यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आवेदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा और उसका नाम प्रतीक्षा सूची में नही रखा जायेगा।

   6. राज्य सरकार द्वारा निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर एक ही अधिकारी के पदस्थापन करने पर अध्यक्ष की अनुमति से एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद पर पृथक–पृथक अधिकारियों के पदस्थापन करने पर प्रबंध निदेशक की अनुमति से अनुकम्पा नियुक्तियाँ प्रदान की जायेंगी।

7. आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्तियाँ 2 वर्ष के प्रोवेशनर ट्रेनी के रूप में नियत फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दी जावेगी एवं 2 वर्ष का प्रोवेशनर ट्रेनी कार्यकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हे सम्बन्धित पद का नियमित वेतनमान एवं नियमानुसार अन्य भते देय होगें। परन्तु प्रावेशन ट्रेनी अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धियां देय नही होगी ।

8. कार्मिक विभाग में नियुक्ति से पूर्व प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण निम्न कमेटी द्वारा अनुशंषा कर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) को प्रेषित करेगी।

1.	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	संयोजक
2.	प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)	सदस्य
3.	सहायक लेखाधिकारी (नियम)	सदस्य
4.	कार्यकारी प्रबंधक (विधि)	सदस्य

10 **शिथलन** :– विलम्ब से आवेदन के लिये अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के द्वारा विशेष कारणो से 3 वर्ष विलम्ब तक शिथलन देने के लिए सक्षम होगें।

11 **अध्यारोही प्रभाव** :– इन विनियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्ही नियमों, विनियमों या आदेशों मे अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये विनियम और इनके अधीन जारी किये गये कोई आदेश प्रभाव में रहेगें।

12 **निरसन एवं व्यावृति** :– विद्यमान में निगम में सेवा काल के दौरान मृत निगम कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित समस्त दिशा–निर्देश को इसके द्वारा निरसित किया जाता है। परन्तु इस प्रकार निरसित/अतिष्ठित किये गये नियमों और आदेशो के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जावेगी ।

13 कार्मिक विभाग द्वारा उक्त विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक दिशा–निर्देश/मार्ग–दर्शन जारी कर सकता है । विनियमों के प्रावधान के विपरित कोई भी दिशा–निर्देश/मार्ग दर्शन जारी करने के लिये कार्मिक विभाग सक्षम नही होगा । आवश्यकता होने पर प्रकरण निगम मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन के पश्चात शंकाओ का निराकरण किया जा सकता है ।

संलग्नः – आवेदन पत्र का प्रारूप
उपाबन्ध "क"

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

उपाबन्ध "क"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

सेवामे

श्रीमान् ------------------------------

-------------------- (राजस्थान)

1.	मृतक कर्मचारी का नाम व पद		
2.	निधन का दिनांक एवं स्थान तथा मृत्यु का **कारण** (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें।		
3.	आगार/ईकाई का नाम,जिसमें वह मृत्यु के समय कार्यरत था		
4.	मृत्यु के समय धारित पद का मूल वेतन एवं पद का वेतनमान		
5.	नियुक्ति का प्रकार (नियमित/दै.वे.भोगी)		
6.	मृत्यु से पूर्व मृतक द्वारा निगम में की गई सेवा अवधि (प्रथम नियुक्ति दिनांक से मृत्यु दिनांक तक)		प्रथम नियुक्ति दिनांक
7.	मृतक के परिवार के सदस्यो का विवरण (केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखें)		

क्र. सं.	नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित/अविवाहित	मासिक आय
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

पार्ट–2

नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण :–

1.	नाम		आवेदक की हाल ही खिचवाई गई फोटो (फोटो सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित की जावेगी)
2.	आयु एवं जन्म दिनांक		
3.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें।		
4.	आवेदक का मृतक कर्मचारी से संबंध में		
5.	आवेदक का अन्य योग्यता यदि है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें		
6.	1. चालक लाईसेन्स अनुक्रमांक नवीनीकरण व दिनांक 2. परिचालक लाईसेन्स अनुक्रमांक नवीनीकरण व दिनांक 3.अन्य योग्यता		
7.	पद जिस पर प्रार्थी (आवेदक) नियोजन चाहता है(आवेदित पद)		
8.	आवेदक का पूर्ण पता :– एवं हस्ताक्षर		

Scanned by CamScanner

9. आवेदन पत्र यदि निर्धारित समय सीमा से विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तो विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण उल्लेख करें :–

हस्ताक्षर

8– आवेदक आश्रित का चरित्र–पत्र, जो दो उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा पार्ट–4{अ} के अनुसार हो)} पृथक से संलग्न करें।

घोषणा

प्रार्थी यह घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मृतक कर्मचारी परिवार के किसी भी सदस्य ने इससे पूर्व मृतक कर्मचारी आश्रित के रूप में निम्न हस्ताक्षर कर्ता के अतिरिक्त निगम में नियुक्ति हेतु आवेदन नहीं किया है।
2. मृतक कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य/वर्तमान में केन्द्र/राज्य/स्वायत संस्थान/बोर्ड/निगम/जो कि केन्द्र/राज्य सरकार से नियन्त्रित हो, में नियुक्त नही रहा है।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है।
4. मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। मै सभी सूचनाओ की सत्यता को पुष्टि करता हूँ ।

{आवेदक के हस्ताक्षर}

<u>आवेदक का प्रमाण–पत्र</u>

मै प्रमाणित करता हूँ, कि आवेदन पत्र के भाग (1) व (2) में वर्णित साक्ष्य मेरी जानकारी में सही है, यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावें, तो मेरी सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।

साक्ष्य————————

(नाम एवं पद सहित मय पता)

आवेदक के हस्ताक्षर

मृतक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा छोडी गई अचल/चल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति ————————————————

स्थान :– ————————————————

चल सम्पत्ति ————————————————

पार्ट–3

यदि आवेदक विधवा स्वंय नही है तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति

मैं, आवेदक के भाग–1 एवं भाग–2 में उल्लेखित सूचना पढ ली है। भली प्रकार सुनली है। आवेदक को नौकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति है, जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का शपथ पत्र संलग्न है।

साक्ष्य ————————————

————————————

विधवा के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

पार्ट–4 (अ)

{दो उत्तरदायी व्यक्तियो द्वारा दिये जाने वाला चरित्र प्रमाण पत्र पृथक से तैयार कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।}

यह प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/सुश्री-----------------------(प्रार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री/पति/श्रीमती-----------------------------------को, मै पिछले----------------- वर्ष/वर्षो से जानता/जानती हूँ। इनका चरित्र अच्छा है तथा ये मेरे सम्बन्धी नही है।

हस्ताक्षर
(राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार/सरपंच)
मय सील

(ब)

इन नियमों के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर कि अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति व्यक्ति परिवार के उप सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थें। उचित तौर पर भरण पोषण करेगा तथा लिखित वचनबद्ध देने पर की जावेगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यो का, जो मृत कर्मचारी पर आश्रित थें। उचित तौर पर भरण पोषण करेगा/करेगी।यदि तत्पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही हैं या उसके उचित तौर पर उनका भरण पोषण नही किया जा रहा है। तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति व्यक्ति को नियुक्ति अधिकारी द्वारा उसकी सेवाओं का समाप्त कर दिये जाने का स्पष्टीकरण मांगते हुये कारण बताओं नोटिस जारी एक अवसर प्रदान करने के पश्चात नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

पार्ट–5 (प्रमाण पत्र)

(आगार कार्यालय/सम्बन्धित ईकाई द्वारा पूर्ति कर प्रेषित किये जाने वाला प्रमाण–पत्र)

1. श्री/श्रीमति————————————————(मृतक कर्मचारी का नाम) पुत्र/पुत्री श्रीमती—————————— (प्रथम नियुक्ति दिनांक)दिनांक —————— से ——————————तक (मृत्यु दिनांक) निगम की —————— आगार/ईकाई में निरन्तर सेवा में कार्यरत थे, मृतक के प्राप्त मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर इनकी मृत्यु दिनांक——————को हुई ।
2. मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री ——————— की सेवाऐं इस कार्यालय के आदेश कमांक————— दिनांक————— द्वारा मृत्यु दिनांक से समाप्त कर दी गई है।
3. मृत्यु से पूर्व श्री————————— पद——————— पर वेतन ——————— में मूल वेतन———————— रूपयें पर कार्यरत थे। उनके द्वारा अंतिम वेतन प्राप्त किया रूपयें———————प्रतिमाह।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है,कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य/आश्रित को पूर्व में निगम में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।
5. यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्त्ता श्री/श्रीमती/सुश्री —————— मृतक कर्मचारी/अधिकारी के रिश्ते में ——————— है। तथा इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।/नहीं है। उक्त आश्रित की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निगम में तुरन्त नियुक्ति दिया जाना उचित है।/नहीं है। मेरी राय के कारण निम्न प्रकार है। ————————————————————————————
6. आवेदन पत्र दिनांक—————को प्राप्त हुआ है।. जो कि पत्र प्राप्ति पंजिका में कमांक————— दिनांक————— पर दर्ज है। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाऐं मृतक कर्मचारी के सेवाभिलेख अनुसार सही है। प्रस्तुत आवेदन पत्र की भली प्रकार जॉच कर ली गई है। तथा आश्रित द्वारा समस्त शपथ पत्र/दस्तावेज संलग्न कर दिये गये है। अतः प्राप्त आवेदन पत्र को आज दिनांक————— के द्वारा नियोजन बाबत् मुख्यालय को अग्रेषित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

मुख्य प्रबन्धक

आगार————— मय मोहर

Scanned by CamScanner

15

(नोट यह शपथ पत्र 10/रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जावेगा।)
(नोटरी पब्लिक से प्रमाणित) (आवेदक द्वारा भरा जाना है)

शपथ–पत्र

मैं ———————————————— (विधवा पत्नी/पुत्र/पुत्री) स्व0श्री ———————————— आयु ———————— वर्ष ———————— जाति ———————— निवासी ———————————— सशपथ घोषणा करता/करता/करती हूँ। कि:–

1. यह है, कि मेरे पिता/पति स्व0श्री ———————— राजस्थान परिवहन निगम,———————— मे ———————— पद पर कार्यरत थे। जिनका स्वर्गवास दिनांक———————— को हो गया है।
2. यह है,कि मेरे स्व0 पति/पिता श्री ———————————— के आश्रित परिवार का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0स0	नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक	वैवाहिक स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3. यह हैं,कि उक्त मृतक के परिवार की देखभाल व सेवा–सुश्रा करने की जिम्मेदारी केवल श्री/सुश्री/श्रीमती ———————————— पर ही है।
4. यह है, कि मेरे अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं नियुक्ति प्राप्त नहीं की है।
5. यह हैं, कि मै ———————— पुत्र/पुत्री/विधवा पत्नी स्व0श्री ———————— सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ, कि मैं परिवार के उपरोक्त वर्णित सदस्यों का उचित तौर पर भरण–पोषण करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा उक्त सदस्यों का भरण–पोषण नहीं किया जाता है। तो मेरी सेवाऐं समाप्त करने हेतु नियुक्ति अधिकारी सक्षम होगा।

शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं ,———————————— पत्नी/पुत्र/पुत्री स्व.श्री ———————————— आयु ———————— निवासी ———————————— सशपथ बयान करती हूँ/करता हूँ, कि उपरोक्त वचनबद्धता मेरे द्वारा पूर्णतया पूर्ण होशो–हवास में तथा बिना दबाव में दिये गयें है। तथा मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है।

शपथ गृहिता

Scanned by CamScanner

16

नोटः—यह शपथ पत्र आश्रिता विधवा पत्नी/ज्येष्ठ पुत्र द्वारा 10/—रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जावेगा (नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

मै ———————— (विधवा पत्नी) स्व0श्री ———————— आयु—— वर्ष—— जाति——निवासी—— घोषणा करती हूँ किः—

1. यह है कि मेरे स्व0 पति श्री———— राजस्थान परिवहन निगम ———— में ———— पद पर कार्यरत है, जिनका स्वर्गवास दिनांक ———— को हो गया ।
2. यह कि मेरे स्वर्गीय पति श्री————के आश्रित परिवार का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र0 सं0	नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित—या अविवाहित तो	नियोजित मासिक आय
1						
2						
3						
4						
5						

3. यह है कि वर्तमान में मेरे परिवार की सभी स्त्रोंतो से मासिक आय ———— रूपयें है।
4. यह कि उक्त आश्रित परिवार में केवल मृतक का पुत्र/पुत्री/स्वंय/श्री/कुमारी/पत्नी/ ———— नौकरी करने योग्य हैं।
5. यह कि सशपथ गृहिता व उक्त मृतक के परिवार की देखभाल व सेवा सुश्रुषा करने की जिम्मेदारी केवल आवेदक श्री/कुमारी/श्रीमती ———— पर ही है।
6. यह हैं, कि मैं अथवा मेरे परिवार का कोई आश्रित सदस्य केन्द्र/किसी राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड,संगठन/निगम, जो पूर्णतः या भागत केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन आश्रित को नियुक्ति दिये जाने के समय तक नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं है।
7. यह कि श्री ———— ने मृतक के स्थान पर राजस्थान परिवहन निगम में नौकरी हेतु आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं नियुक्ति प्राप्त नहीं की है। इसको मृतक के स्थान पर नौकरी दिया जाना न्यायोचित है एवं इसमें में आश्रित के परिवार का कल्याण व हित है।

शपथ ग्रहिता

मैं ———— पत्नी स्व0श्री ———— आयु———— जाति————निवासी————की सशपथ प्रमाणित करती हैं कि प्रस्तुत शपथ पत्र की मद सं0 1 से 7 मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं, कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

शपथ ग्रहिता

Scanned by CamScanner

नोटः— यह शपथ पत्र कर्मचारी की निगम वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप आवेदक के द्वारा 10/—रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है। (MACT)

(नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

(आवेदक के अतिरिक्त अन्य बालिग सदस्यों द्वारा दिया जाना है। तथा नाबालिग सदस्यों की और से आश्रिता/संरक्षक द्वारा दिया जाना है।)

शपथ—पत्र

मैं ———————————— {विधवा पत्नी/पुत्र/पुत्री} स्व0 श्री ———————————— आयु ———————— वर्ष ————————,जाति ———————— निवासी———————————————————————— सशपथ घोषणा करता/करती हूँ, किः—

1. यह है, कि मेरे पिता/पति स्व0श्री ————————————————राजस्थान परिवहन निगम ———————— में ————————————पद पर0 कार्यरत थे, जिनका निगम सेवा में रहते हुये दिनांक ———— को दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था।
2. यह हैं, कि मेरे स्व0 पिता/पति स्व0श्री ———————————————— के आश्रित परिवार का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र0सं0	नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक	वैवाहिक स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3. यह है, कि मै एवं मेरे परिवार के किसी भी उपरोक्त वर्णित आश्रित सदस्य द्वारा मेरे मृतक पिता/पति की मृत्यु के कारण आय की क्षति पूर्ति के क्लेम हेतु निगम के विरूद्व किसी भी मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में वाद दायर नहीं किया गया है, तथा भविष्य में भी कोई दुर्घटना क्लेम वाद दायर नहीं किया जावेगा।
4. यह हैं, कि मै———————————————— {आश्रित पुत्र/पुत्री/विधवा पत्नी} स्व0 श्री————————————सशपथ घोषणा करता/करती हँ, कि भविष्य में किसी न्यायाधिकरण द्वारा मेरे मृतक पिता/पति के दुर्घटना क्लेम बाबत किसी प्रकार का पंचाट पारित किया जाता है। तो मै नियोजक को आवेदक की सेवाऐं समाप्त करने लिये अपनी सहमति देता/देती हूँ। तथा सेवा समाप्ती के विरूद्व किसी भी न्यायालय में निगम के विरूद्व केस दायर नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांकः—

शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं ————————————पत्नी/पुत्र/पुत्री/स्व0श्री———————————— आयु———— निवासी———————————————————— सशपथ बयान घोषणा करती हूँ/करता हूँ, कि उपरोक्त बचनबद्वता मेरे द्वारा पूर्णतया पूर्ण होशो—हवास में तथा बिना किसी दबाव में दिये गये है। तथा मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

दिनांक

शपथ गृहिता

Scanned by CamScanner

नोटः– आश्रित आवेदक के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक व्यस्क आश्रितों द्वारा यह शपथ पत्र 10/–रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जायेगा
(नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

अनापति शपथ–पत्र

मैं------------------------------ (पुत्र/पत्नी) स्व0 श्री ------------------------------

आयु------------ वर्ष------------ जाति------------ निवासी------------------------------

------------------------------सशपथ घोषणा करता/करती हूँ, कि:–

1. यह है, कि मेरे पिता स्व0श्री ------------------------------ राजस्थान परिवहन निगम ------------ में ------------ पद पर कार्यरत थे, जिनका निगम सेवा में रहते हुये दिनांक ---------- को स्वर्गवास हो गया था।

2. यह है, कि मेरे स्व0 पिता स्व0श्री ------------------------------ के आश्रित परिवार का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक	वैवाहिक स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3. यह है कि उक्त मृतक के परिवार की देखभाल व सेवा करने की जिम्मेदारी केवल { नाम आवेदक } श्री/सुश्री/श्रीमती ------------------------------ पर ही है।

4. यह है, कि मै ------------------------------ आश्रित पुत्र/पुत्री स्व0श्री ------------------------------ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मै वर्तमान मे बेराजगार हूँ,, मै (विभाग/संस्था का नाम ------------ ------------------) में ------------------ पर पर कार्यरत हूँ या स्वंय का ------------ व्यवसाय करता हूँ। मेरी मासिक आय रूपये ------------ है एवं मै अपने परिवार से पत्नी बच्चो सहित अलग रहता हूँ। यह है कि मेरे स्वर्गीय पिता के स्थान पर मेरे भाई श्री ------------------ को राजस्थान परिवहन निगम में अनुकम्पा नियुक्ति देने पर मुझे कोई आपत्ति नही है। इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई दावा/वाद प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक:–

शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं------------------ पुत्र/पुत्री/स्व0श्री------------------------------ आयु---------- निवासी------------------------------ सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त वचनबद्धता मेरे द्वारा पूर्णतया पूर्ण होशो–हवास में तथा बिना किसी दबाव में दी गयी है तथा मेरे द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई तथ्य छुपाया नही गया है।

शपथ गृहिता

दिनांक

Scanned by CamScanner

नोटः— यह शपथ पत्र 10/—रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आश्रिता विधवा द्वारा अव्यस्क सदस्यों की ओर से दिया जाना है।

(नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

अनापत्ति शपथ—पत्र

मैं———————————————— { पत्नी } स्व0 श्री—————————————————
आयु——————— वर्ष——————, जाति—————— निवासी——————————
————————————————सशपथ घोषणा करती हूँ, किः—

5. यह है, कि मेरे पति स्व0श्री——————————————— राजस्थान परिवहन निगम —————— में ————————पद पर कार्यरत थे, जिनका निगम सेवा में रहते हुये दिनांक ———— को स्वर्गवास हो गया था।

6. यह हैं, कि मेरे स्व0 पति स्व0श्री———————————— के आश्रित परिवार का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र0सं0	नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक	वैवाहिक स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. यह है कि उक्त मृतक के परिवार की देखमाल व सेवा—सुश्रा करने की जिम्मेदारी केवल { नाम आवेदक } श्री/सुश्री ————————————————— पर ही है।

8. यह है कि मेरे स्वर्गीय पति के स्थान पर मेरे पुत्र/पुत्री/श्री/सुश्री ——————————— को राजस्थान परिवहन निगम में अनुकम्पा नियुक्ति देने पर मेरे नाबालिग पुत्र/पुत्रियों—कुमारी/श्री —————————— की ओर से बालिग होने पर भविष्य में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जावेगी तथा अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में भविष्य में नाबालिग पुत्र/पुत्रियों द्वारा कोई दावा/वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेंगा।

दिनांकः—

शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं————————————पत्नी स्व0श्री——————————————— आयु————
निवासी———————————————————— सशपथ घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त बचनबद्वता मेरे द्वारा पूर्णतया पूर्ण होशो—हवास में तथा बिना किसी दबाव में दी गयी है। तथा मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

शपथ गृहिता

दिनांक

{ नोट— जो लागू नहीं हो उसे काट दें }

Scanned by CamScanner

नोटः– आश्रित आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में यह शपथ पत्र 10/–रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा दिया जाना है।
(नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

शपथ–पत्र

मैं ____________________ पुत्र स्व0 श्री ________________________ आयु________ वर्ष__________, जाति______________ निवासी ____ सशपथ घोषणा करता हूँ, कि:–

1. यह है, कि मेरे पिता स्व0श्री ____________________________ राजस्थान परिवहन निगम __________ में ______________ पद पर कार्यरत थे, जिनका निगम सेवा में रहते हुये दिनांक ________ को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा मैं विवाहित हूँ।
2. यह है कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात जन्म हुये जीवित बच्चों की संख्या/विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	नाम	जन्म दिनांक

दिनांक :– शपथकर्ता

सत्यापन

मैं ____________________ पुत्र स्व0श्री ____________________________ आयु________ निवासी ____________________________________ सशपथ घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त शपथ पत्र मेरे द्वारा पूर्ण होशो–हवास में तथा बिना किसी दबाव में दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

दिनांक :– शपथकर्ता

Scanned by CamScanner